प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड,
हल्द्वानी।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

संख्या : 2589/प्रकाशन/मुख्यालय/2020 दिनांक : 04-09-2020

विषय : **समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में दिनांक : 30.08.2020 में प्रकाशित विज्ञापन में त्रुटि सुधार के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या : 2529, दिनांक : 28.08.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के कतिपय धाराओं में संशोधन संबंधी अधिसूचना के ड्राफ्ट को दिनांक : 30.08.2020 के अंक में प्रकाशित कराने संबंधी अनुरोध के क्रम में आपके स्तर से दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में ड्राफ्ट को प्रकाशित कराया गया था।

सूचनीय है कि उक्त अधिसूचना ड्राफ्ट संख्या : 817 में त्रुटिवश दिनांक का अंकन किया जाना रह गया था।

उक्त संबंध में अनुरोध है कि कृपया संलग्न शुद्धि-पत्र को अपने स्तर से उक्त 02 दैनिक समाचार-पत्रों के उत्तराखण्ड संस्करण में दिनांक 05.09.2020 के अंक में डी०ए०वी०पी० की निर्धारित दरों पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डी०सी०बिष्ट)
सहायक श्रम आयुक्त, मुख्यालय,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

शुद्धि–पत्र,

दिनांक 30.08.2020 को श्रम अनुभाग से संबंधित प्रकाशित अधिसूचना संख्या : 817 / VIII / 20–06(श्रम) / 2020, उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के स्थान पर अधिसूचना संख्या : 817 / VIII / 20–06(श्रम) / 2020, दिनांक : 28.08.2020, उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन की सेवा शर्तें तथा विनियमन) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) पढ़ा जाए। **(अन्य यथावत)**

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः– 817 / VIII / 20–06(श्रम) / 2020
देहरादूनः दिनांकः 28 अगस्त, 2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियम तथा उत्सादन) नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में संशोधन कर लाइसेंस नवीनीकरण की वर्तमान प्रकिया को ऑनलाईन आवेदन कर स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान किया जाय। कारखाने के लाइसेंस हेतु कारखानेदार द्वारा जितनी अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, कारखाने का लाइसेंस उतनी अवधि के लिए स्वतः ही नवीनीकृत माना जायेगा। व्यापार की सुगमता (Ease of Doing Business) को बढावा देने तथा प्रकियाओं के सरलीकरण की दृष्टि से उक्त संशोधन किया जाना अपरिहार्य है;

अतएव, अब राज्यपाल अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियम तथा उत्सादन) नियमावली, 1983 में संलग्न प्रारूप नियमावली के अनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनको संशोधन से प्रभावित होने की सम्भावना है, से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित हैं।

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो तो , राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी, नैनीताल को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें, जो समस्त आक्षेप और सुझावों को संकलित करके अपनी टिप्पणी के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त तीस दिनों की समयावधि के पश्चात कोई आक्षेप या सुझाव स्वीकार एवं विचार नहीं किये जायेंगे।

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियमन तथा उत्सादन)} (संशोधन)नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियमन तथा उत्सादन)} (संशोधन) नियमावली, 2020 है।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड पर लागू होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नियम 14 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (विनियमन तथा उत्सादन)नियमावली, 1983 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 14 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) आवेदन प्रारूप 9 में तीन प्रतियों में होगा तथा लाइसेंस समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले दिया जायेगा और यदि आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो लाइसेंस को नवीनीकृत लाइसेंस जारी होने की ऐसी तिथि तक नवीनीकृत समझा जायेगा।	(2) प्रत्येक ठेकेदार श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर लाईसेंस अवधि समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीस दिन पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ नवीनीकरण आवेदन उपलब्ध ऑनलाइन प्रारूप में अपलोड करेगा और आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो लाइसेंस एक वर्ष के लिए नवीनीकृत समझा जायेगा।

(डा0 हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

Scanned with CamScanner